भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2188

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड जारी किया जाना

†2188. डॉ. के. सुधाकरः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में आयुष्मान वय वंदना योजना की कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) देश में, विशेषकर कर्नाटक में अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार जारी किए गए उक्त कार्डों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में उपरोक्त योजना के लाभार्थियों की आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का विचार है ताकि देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उक्त लाभ मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशभर में, विशेषकर कर्नाटक में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार चिह्नित लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है जो भारत की आर्थिक रूप से कमजोर निचली 40% आबादी वाले 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट स्तर की अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं है और आयु और लिंग की परवाह किए बिना पात्र परिवारों के सभी सदस्य इस योजना के अंतर्गत आते हैं। अक्टूबर 2024 में, भारत सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई का

विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान करना शुरू किया।

05.12.2025 तक, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 93 लाख से अधिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना श्रेणी के अंतर्गत जारी किए गए आयुष्मान कार्डों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी https://dashboard.nha.gov.in/public/card वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 31.10.2025 तक, आयुष्मान वय वंदना श्रेणी के अंतर्गत कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 7.89 लाख अस्पताल प्रवेश स्वीकृत किए गए, जिनकी लागत 1741 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, समय-समय पर आवश्यकतानुसार नई प्रक्रियाओं को शामिल करके, नए अस्पतालों को सूचीबद्ध करके, नए लाभार्थियों को जोड़कर और अन्य सुधारों के माध्यम से उपचार का विस्तार किया जा रहा है।

(ङ): यह योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को कवर करती है, जो 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित हैं, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों की अनुमानित संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

*****

अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों (70 वर्ष और उससे अधिक आयु) की अनुमानित संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अनुमानित वरिष्ठ नागरिक व्यक्ति**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13,329
आंध्र प्रदेश	25,94,554
अरुणाचल प्रदेश	35,085
असम	12,07,517
बिहार	39,42,479
चंडीगढ़	38,434
छत्तीसगढ	10,97,453
दिल्ली	6,08,853
डीएनएच और डीडी	13,062
गोवा	92,727
गुजरात	28,53,690
हरियाणा	12,76,661
हिमाचल प्रदेश	4,72,957
जम्मू और कश्मीर	5,83,763
झारखंड	11,54,024
कर्नाटक	33,40,390
केरल	26,84,247
लद्दाख	14,500
लक्षद्वीप	2,754
मध्य प्रदेश	34,73,325
महाराष्ट्र	66,26,963
मणिपुर	1,23,101
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अनुमानित वरिष्ठ नागरिक व्यक्ति**
मेघालय	79,201
मिजोरम	42,272
नागालैंड	63,403
ओडिशा	23,12,979
पुदुचेरी	73,468
पंजाब	17,36,990
राजस्थान	31,45,124
सिक्किम	25,261
तमिलनाडु	43,19,331
तेलंगाना	18,02,995
त्रिपुरा	1,84,232
उत्तर प्रदेश	89,06,369
उत्तराखंड	5,33,339

*****